कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 1944 / FP/UK/ROAD/9429/2015 देहरादूनः दिनांकः 19 जनवरी, 2021

सेवा में,

अपर सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–पिथौरागढ़ के राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा धरचूला में राथी गांव से बोरा गांव तक मोटर मार्ग लम्बाई 2.000 कि0मी0 निर्माण हेतु 0.275 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(Online proposal no- FP/UK/ROAD/9429/2015)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट (पिथौरागढ़) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत **0.275** है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ, वन प्रभाग, पिथौरागढ़ एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट–II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 7 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर 4.1. एवं 4.3 में दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत है।

अतः प्रस्ताव के प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा) 18/1/21
प्रमुख वन संरक्षक
कार्या0–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या / **FP/UK/ROAD/9429/2015** तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊ, नैनीताल।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद–पिथौरागढ़।
6. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट (पिथौरागढ़)।

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्या0–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग—IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः— जनपद—पिथौरागढ़ के राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा धरचूला में राथी गांव से बोरा गांव तक मोटर मार्ग लम्बाई 2.000 कि0मी0 निर्माण हेतु 0.275 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(Online proposal no- FP/UK/ROAD/9429/2015)

जनपद—पिथौरागढ़ के राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा धरचूला में राथी गांव से बोरा गांव तक मोटर मार्ग लम्बाई 2.000 कि0मी0 निर्माण हेतु 0.275 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 0.275 सिविल सोयम वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद—पिथौरागढ/प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट—II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 7 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनामः
हस्ताक्षरः

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्या0—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सरकारी मोहरः D. J. K. SHARMA
Principal Chief Conservator
of Forest Uttarakhand

तिथि : 16/01/2021
स्थान : देहरादून